महाविद्यालय का नाम– रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय, बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर। महाविद्यालय कोड– **02026**

महाविद्यालय का पता– ग्राम– बावन इमली, लखनाखेड़ा पोस्ट– खजुहा तहसील– बिन्दकी जनपद– फतेहपुर

सम्पर्क सूत्र – 8765954938 ई–मूलआई0डी0– MAIL@RVDMV.ORG वेबसाइट– WWW.RVDMV.ORG

कम सं0	पाठयकम का नाम	विषय	विश्वविद्यालयीय सम्बद्धता अवधि	सम्बद्धता की स्थिति	सम्बद्धता आदेश पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सीट
1	बी0ए0 (स्नातक)	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान,अर्थशास्त्र	1.07.2009 से 30.06.2012	अस्थाई	सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 3027 / 2009 दिनांक 08.10.2009	360 सीटस
2	बी0एस0सी0 (स्नातक)	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित	01.07.2010 से 30.06.2013	अस्थाई	सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1899 / 2010 दिनांक 28.07.2010	240 सीटस
3	बी0ए0 (स्नातक)	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान,अर्थशास्त्र	01.07.2012 से स्थाई	स्थाई	सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 2995 / 2012 दिनांक 26.11.2012	360 सीटस
4	बी0एस0सी0 (स्नातक)	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित	01.07.2013 से 30.06.2014	अस्थाई	सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 3865 / 2013 दिनांक 04.10.2013	240 सीटस
5	बी0एस0सी0 (स्नातक)	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान,	01.07.2014 से स्थाई	स्थाई	सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 5348 / 2014	240 सीटस

		विज्ञान, गणित				
6	बी0एस0सी0 (स्नातक)	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित	01.07.2014 से स्थाई	स्थाई	सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 5348 / 2014 दिनांक 08.09.2015	240 सीटस
7	बी0एस0सी0 (स्नातक)	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित	अतिरिक्त 4 सेक्सन (240 सीटस)		सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 7188 / 2014 दिनांक 15.12.2014	कुल 240 +240= 480 सीटस
8	बी0ए0 (स्नातक)	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान,अर्थशास्त्र	अतिरिक्त 2 सेक्सन (120 सीटस)		सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 2128 / 2012 दिनांक 03.09.2012	कुल 360 +120= 480 सीटस
9	बी0ए0 (स्नातक)	गृहविज्ञान, भूगोल, संगीत, संस्कृत	01.07.2016 से 30.06.2019	अस्थाई	सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1979 / 2016 दिनांक 30.05.2016	
10	बी0ए0(स्नातक)	गृहविज्ञान, भूगोल, संगीत, संस्कृत	01.07.2019 से 30.06.2020	अस्थाई (स्थाई सम्बद्धता हेतु	पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता /	

प्रारुप–2

महाविद्यालय का नाम– रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय, बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर

महाविद्यालय कोड– 02026

कम सं0	पाठयकम का नाम	विषय	शिक्षक विवरण						
			नाम	पद नाम	शैक्षिक योग्यता	विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति	आधार नं0	मोबाइल नं0	शैक्षिक सत्र 2021–22 में प्रकाशित शोध पत्रों / प्रस्तकों का विवरण
1	बी0एस0सी0	वनस्पति विज्ञान	डॉ बृजेश कुमार वर्मा	प्राचार्य	पी0एच0डी0	अनुमोदित	307156621427	7828949014	कोई नही
2	बी0ए0	इतिहास	श्री अजय कुमार वर्मा	सहा0 आचार्य	एम0फिल	अनुमोदित	292011003356	9450260051	कोई नही
3		अर्थशास्त्र	श्री मनोज कुमार वर्मा	सहा0 आचार्य	एम0फिल	अनुमोदित	811011039755	9919063263	कोई नही
4		हिन्दी साहित्य	डॉ0 नीतू गुप्ता	सहा0 आचार्य	पी0एच0डी0	अनुमोदित	956855004585	9794067284	कोई नही
5		अंग्रेजी साहित्य	श्री बलजीत	सहा0 आचार्य	एम0फिल	अनुमोदित	662054545554	8795244092	कोई नही
6		समाजशास्त्र	श्रीमती आशा सरोज	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	620625163808	8009670494	कोई नही
7		शिक्षाशास्त्र	श्रीमती रेखा देवी	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	955036353515	9839103933	कोई नही
8		राजनीति विज्ञान	श्री अनिल कुमार मौर्य	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	792569617016	9453017382	कोई नही
9		गृह विज्ञान	श्रीमती अनीता सिंह	सहा0 आचार्य	पी0एच0डी0	अनुमोदित	236478677926	9005307975	कोई नही
10		भूगोल	श्री कुलदीप कुमार	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	600911748014	9198212112	कोई नही
11		संस्कृत	श्रीमती पुष्पा	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	206528957003	9005686820	कोई नही

प्राचार्य

रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय

12		संगीत(गायन)	श्री अभिषेक कुमार सोनी	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	951110591025	9565402965	कोई नही
13	बी0एस0सी0	रसायन विज्ञान	श्री अर्जुन यादव	सहा0 आचार्य	एम0फिल	अनुमोदित	250996990813	9451974813	कोई नही
14		रसायन विज्ञान	डा0 नवनीत कुमार	सहा0 आचार्य	पी0एच0डी0	अनुमोदित	229562207503	9140739975	कोई नही
15		भौतिक विज्ञान	श्री सुनील सैनी	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	796287686186	8958154561	कोई नही
16		भौतिक विज्ञान	डा0 अनुज कुमार अग्रवाल	सहा0 आचार्य	पी0एच0डी0	अनुमोदित	815215362431	9410865736	कोई नही
17		गणित	श्री सुधीर कुमार	सहा0 आचार्य	एम0फिल	अनुमोदित	845578885002	9839083005	कोई नही
18		जन्तु विज्ञान	श्रीमती मनीषा सचान	सहा0 आचार्य	एम0फिल	अनुमोदित	325565225858	7455201733	कोई नही
19		वनस्पति विज्ञान	श्री कुलदीप यगिक	सहा0 आचार्य	नेट	अनुमोदित	324328044305	9616817170	कोई नही

हस्ताक्षर– प्राचार्य / प्रबन्धक

नाम– डॉ0 बृजेश कुमार शर्मा

मुहर– प्राचार्य
भोपाल बिटाना देवी महाविद्यालय
शहीद स्थल बावन इमली
खजुहा फतेहपुर

मोबाइल नं0– 7028949014

ई–मेल आई0डी0– Principal@rvdmv.org

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब0 211(1)/सत्तर-6-2012-2(188)/2012 दिनांक 21.08.2012 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1329/2012 दिनांक 20.06.2012 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन **रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय, शहीद स्थल, बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2011-12 के परीक्षाफल के अभाव में **दिनांक 01.07.2012** से **शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु** निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षिक सत्र 2011-12 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2012-13 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2012 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2995/2012 दिनांक 26/11/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 21.08.2012 के अनुपालन में इस आशय से पृष्ठांकित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय का बी0ए0 वर्ष 2012 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः महाविद्यालय को वर्णित पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2012 से सम्बद्धता (स्थाई) प्रदान की जाती है।
2. उप कुलसचिव (परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. प्रबन्धक, रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय, शहीद स्थल, बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(पी0एन0 प्रसाद)
उपकुलसचिव (सम्ब0)

प्राचार्य
रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय
शहीद स्थल बावन इमली
खजुहा फतेहपुर

प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 407/सत्तर–6–2014–2(662)/2014 दिनांक 23जून, 2014 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2093/2014 दिनांक 29.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन रामपाल विटाना देवी महाविद्यालय, शहीद स्थल, बावन इमली, खजुहा, बिन्दकी, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2013–14 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2014 से शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. शैक्षिक सत्र 2013–14 का परीक्षाफल शासनादेश दिनांक 27सितम्बर, 2002 के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में प्रश्नगत सशर्त पूर्वानुमति के आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2014 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

दिनांक 08/9/14

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/5348/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित कि महाविद्यालय का सम्बन्धित पाठ्यक्रम का सत्र 2013–14 का परीक्षाफल घोषित हो गया है, जो मानकानुसार 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः महाविद्यालय को सम्बन्धित पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता (स्थाई) की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. प्रबन्धक, **रामपाल विटाना देवी महाविद्यालय, शहीद स्थल, बावन इमली, खजुहा, बिन्दकी, फतेहपुर** को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के पत्र दिनांक 23जून, 2014 में इंगित शर्तो निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
   उक्त के साथ महाविद्यालय का **वेबसाइट, ई–मेल, फोन नं0** आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
3. उपकुलसचिव (परीक्षा), सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर
5. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद [illegible] हुसैन)
कुलसचिव

प्राचार्य
रामपाल विटाना देवी महाविद्यालय
शहीद स्थल बावन इमली
खजुहा (फतेहपुर)

Gram UNIVERSITY
FAX 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF	RESI
V.C.	2570450	2570263
REGI.	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपु
KALYANPUR, KANPUI

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./7188 /2014 दिनांक : 15/12/201

सेवा में, **स्पीड-पोस्ट**

प्रबन्धक / सचिव (प्रबन्ध समिति),
रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय,
शहीद स्थल, बावन इमली, खजुहा,
फतेहपुर।

विषयः रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय, शहीद स्थल, बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में अतिरिक्त सेक्शन / सीट्स वृद्धि की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांकः 04.08.2014 एवं 07.11.2014 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि निरीक्षक महोदय की निरीक्षण आख्या दिनांकः 02.11.2014 द्वारा की गई संस्तुति एवं अनुमोदित शिक्षकों के आलोक में माननीय कुलपति जी ने उक्त महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में बी०एससी० पाठ्यक्रम के विषयों में 04 सेक्शन (02 बायो ग्रुप एवं 02 मैथ ग्रुप) (प्रति सेक्शन 60 सीट्स) **कुल 240 सीट्स की वृद्धि** इस शर्त के साथ प्रदान करने की कृपा की है कि महाविद्यालय अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण पत्र एवं अनुबन्ध पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

इस प्रकार स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में पूर्व में आवंटित 240 सीट्स को मिलाकर कुल 480 सीट्स (04 सेक्शन बायो ग्रुप व 04 सेक्शन मैथ ग्रुप) निर्धारित की जाती है।

भवदीय,

(उमा नाथ)
उपकुलसचिव(सम्ब०)
कृते–कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपकुलसचिव (परीक्षा / अतिगोपनीय) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
2. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
3. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।

(उमा नाथ)
उपकुलसचिव(सम्ब०)
कृते–कुलसचिव

प्रबन्धक
रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय
शहीद स्थल बावन इमली
खजुहा (फतेहपुर)

GRAM UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

☎ 2570301(O)
2570450
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref.NO.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./4128 /2012

दिनॉक : 03/9/12

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामपाल विटाना देवी महाविद्यालय,
शहीद स्थल, वावन इमली, खजुहा,
फतेहपुर ।

विषय-- रामपाल विटाना देवी महाविद्यालय, शहीद स्थल, वावन इमली, खजुहा, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सीट वृद्वि/सेक्शन वृद्वि किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित करना है कि निरीक्षक की संस्तुति के आलोक में माननीय कुलपति जी ने महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में 02 सेक्शन आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। पूर्व से स्वीकृत [illegible] में इस वृद्वि के उपरान्त महाविद्यालय के कला संकाय में 480 सीटें हो जायेगी । महाविद्यालय शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण पत्र एवं अनुबन्ध पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(पी.एन. प्रसाद)
उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. सहा.कुलसिचवं(परीक्षा), सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय कानपुर ।
2. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय कानपुर ।
3. इंचार्ज ई0डी0पी0, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर ।

प्राचार्य
रामपाल विटाना देवी महाविद्यालय
शहीद स्थल बावन इमली
खजुहा (फतेहपुर)

Web: www.kanpuruniversity.org REGI.: 2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 1979 /2016

दिनांक : 30/05/2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय,
शहीद स्थल बावन इमली, खजुहा,
फतेहपुर ।

विषयः स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान, भूगोल, संस्कृत व संगीत अतिरिक्त विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु कार्य परिषद/उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों/शर्तों की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद/उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति द्वारा **रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय, शहीद स्थल बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान, भूगोल, संस्कृत व संगीत अतिरिक्त विषयों में** स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सत्र 2016-17 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त सम्बद्धता प्रस्ताव/निरीक्षण आख्या एवं संलग्न प्रपत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त सम्बद्धता पूर्व निम्नांकित कमियां/शर्तें अवधारित की गयी हैः-

1. महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम के शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नही है, सामूहिक नकल में आरोपित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नही है, पूर्व संचालित पाठ्यक्रम के शिक्षकों को वेतन भुगतान बैंक के माध्य से किये जाने का प्रामणिक अभिलेख संलग्न नही है, की पूर्ति कर संस्था/महाविद्यालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के पूर्व उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानको की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जाता है, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने तथा बार काउन्सिंल आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।
6. **विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।**
7. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बद्धता आदेश निर्गत होने के पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 30.06.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

अतः आदेशानुसार अनुरोध करना है कि उक्तानुसार इंगित शर्तों/कमियों की पूर्ति (विशेषकर याचित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित होने व कार्यरत होने सम्बन्धी प्रपत्र अनिवार्य है) सम्बन्धी प्रपत्र एवं विभिन्न शासनादेशों व विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में निहित मानकों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी शपथ-पत्र विश्वविद्यालय को दिनांक 30.06.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समयान्तर्गत आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

प्राचार्य
रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय
शहीद स्थल बावन इमली
खजुहा फतेहपुर

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly Allahabad State University)

पत्रांक संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 1014 / 2019 दिनांक–30/06/ 2019

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 30.06.2019 के अनुपालन में रामपाल **बिटाना देवी महाविद्यालय, बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर, उ0प्र0** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, भूगोल, संस्कृत एवं संगीत अतिरिक्त विषयों में बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1. **महाविद्यालय द्वारा संस्था / महाविद्यालय के बैंक खाते में मानकानुसार जमा धनराशि होने का अद्यतन प्रमाण, सत्र 2018–19 में सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने का प्रमाण एवं विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण दिनांक– 31.07.2019 तक उपलब्ध कराने के उपरांत आवेदित पाठ्यक्रम / विषयों में शैक्षिक सत्र 2019–20 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।**
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओ के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
7. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध मे निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एव परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16 (20) / 2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
10. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. **प्रबन्धक, रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय, बावन इमली, खजुहा, फतेहपुर, उ0प्र0।**
4. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

प्राचार्य
रामपाल बिटाना देवी महाविद्यालय
बावन इमली
खजुहा (फतेहपुर)

कुलसचिव

पताः सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड,सिविल लाइन्स, प्रयागराज, (उ०प्र०), फ़ोन: 0532–2256206
Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Prayagraj, (U.P.) Ph. 0532-2256206